न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 08 / 2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.12.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 394

बद्रीलाल पुत्र टीकू जाति माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर,

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय रायपुर
2. छोटूराम पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी रायपुर
3. नेमाराम पुत्र जेठाराम जाति माली निवासी रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 अप्रार्थीगण संख्या 02 से 03 अनुपस्थित एवं अप्रार्थीगण सरकारी पैराकार उपस्थित

—: निर्णय :— **दिनांक : 12.02.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय भु. अभि. निरि. रायपुर तहसील रायपुर के खसरा नं. 1725 रकबा 6.7501 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम पुश्तैनी कृषि भुमि आई हुई हे एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड है। जिनकी वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की ईमित्र की नकल तथा नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त प्रार्थना पत्र मे उक्त भुमि को विवादित भुमि कहा जायेगा। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि खसरा सं. 1725 से रायपुर से हरिपुर जाने वाली रोड पर बिना किसी रोक टोक के अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भुमि खसरा सं. 1724 मे से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी मुख्य रास्ते से अपनी भुमि खसरा सं. 1725 मे खसरा सं. 1724 मे से बिना रोक–टोक के नजरी नक्शे अनुसार भुमि मे से आया जाया करते है। प्रार्थी के कृषि के सम्बन्ध के साधन भी आ जा रहे थे। जो प्राथीगण लम्बे समय से एवं पुर्वजो के समय से आवागमन हेतु रास्ता उपभोग उपयोग करते थे जहा पर अप्रार्थी ने अपना हक अधिकार नहीं जमाया ना ही वहा खेती की थी। जिस कारण लम्बे समय वक्त आपसी सेटलमेन्ट से ही वहॉ कच्चा रास्ता मौके पर बना हुआ है एंव वहा पर सेटलमेन्ट से कदिमी रास्ता चला आ रहा है। प्रार्थी के खसरा सं. 1725 के आगे भी अन्य खातेदारी भुमि आती है। एंव प्रार्थी अपनी भुमि को कृषि कार्य करने आवागमन करने से खेत बोने मे निदान करने मे फसल घर ले जोने हेतु एवं बैक ऋण इत्यादि नही मिल पा रहे है प्रार्थी को आवागमन करने मे भी भारी समस्या का सामना पडता है क्योकि अप्रार्थी सं. 1 की भुमि बीच मे आने से किसी भी वयक्ति द्वारा कब्जा कर लिया जाता है एवं चल रहे रास्ते का बंद कर दिया जाता है। जिस कारण

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच बहुत बार लडाई झगडै का सामना करना पडता है। प्रार्थी की भुमि मे आने जाने का रेकडेर्ड रास्ता नही होने से प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। इसलिए भाविष्य मे होने वाले वाद विवाद एवं मल्टी प्रोसेडिग्स से बचने के लिए प्रार्थी की भुमि खसरा सं. 1725 व अन्य से मुख्य सडक ग्राम हरिपुर से रायपुर जाने वाली रोड पर आवागमन करने हेतु खसरा नं. 1724 मे से 6 मीटर फुट चोडा एवं 55 मीटर लम्बा कुल 330 वर्ग मीटर भुमि रास्ते मे उपयोग उपभोग की आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त भुमि को राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते हैं जिसके प्रार्थी को भविष्य मे कभी परेशानी का सामना नही करना पडे। प्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 251 'A ' के अनुसार नया रेकर्डेड रास्ता मॉगा जा रहा है एवं रास्ते मे अवाप्त होकर सिवाय चक खाते मे खसरा सं. 1724 की किस्म गै. मु. खड्डा से गै. मु. रास्ता करवाने हेत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। गै. मु. रास्ते मे दर्ज होने वाली भुमि का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार जमा योग्य शुल्क का भुगतान करने को तैयार है। जिससे उनको उनकी भुमि सार्वजनिक रास्ते होने से भुमि का नुकसान की भरपाई का मुआवजा मिल सके तथा प्रार्थी को भाविष्य मे होने वाली समस्या का सामना नहीं करना पडे। प्रार्थी अप्रार्थी व अन्य खातेदार उक्त सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा हक अधिकार नही जतायेगें। रेकडेर्ड रास्ते से प्रार्थी की भुमि मे आवागमन हेतु चल रहे रास्ते रायपुर से हरिपुर जाने वाली सडक से सबसे नजदीकी रास्ता खसरा सं. 1724 मे से होकर है। जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि पर आने जाने हेतु सलग्न नजरी नक्शे अनुसार अप्रार्थी की भुमि मे से रेकडेर्ड रास्ता मांगा है। प्रार्थी अपनी भुमि पर आवागमन हेतु उक्त भुमि मौके पर रास्ते के उपयोग मे काम आयेगी। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उसके पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रमाणित है, विधि अनुरूप है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के ही पक्ष में है। मौजूदा प्रार्थना पत्र में नियत न्यायशुल्क अदा किया जा रहा है। मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवण क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि कृषि भुमि सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय भु. अभि. निरि. रायपुर तहसील रायपुर के खसरा नं. 1725 रक्बा 6.7501 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम पुश्तैनी खातेदारी भुमि आई हुई हे जो प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि मे आने जाने हेतु मुख्य रास्ते से अप्रार्थी की खातेदारी भुमि खसरा सं. 1724 मे नजरी नक्शे अनुसार व मौके पर बने कदिमि रास्ते अनुसार अपने खेत मे आते जाते है परन्तु राजस्व रेकडेर्ड मे रास्ता नही होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी मे आने जाने हेतु भारी समस्या का सामना करना पड रहा है जिस कारण प्रार्थीगण को अन्य खातेदार की जोत मे से होकर नया मार्ग खोलना या बिद्यमान मार्ग का विस्तार करना (अद्यिनियम स. 1 आफ 2012 द्वारा जोडा गया एवं दिनाक 18 जनवरी 2012 से लागु किया गया) सुखाधिकार अधिनियम के तहत विवादित भुमि ग्राम रायपुर द्वितिय के प्रार्थी की भुमि खसरा सं. 1725 से मुख्य सडक हरिपुर से रायपुर जाने वाली सडक पर आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भुमि खसरा नं. 1724 मे से 6 मीटर फुट चोडा एवं 55 मीटर लम्बा कुल 330 वर्ग मीटर भुमि रास्ते मे उपयोग उपभोग की आवश्यकता है। उतना जितना रास्ता को अप्रार्थी के खातेदारी भुमि कि किस्म गै. मु. खड्डा से किस्म गै. मु. रास्ता के रूप मे घोषित करवाने का आदेश दिरावे। प्रार्थी सार्वजनिक रास्ते मे हस्तान्तरण होने वाली भुमि का राजस्थान सरकार द्वारा तय मुआवजा देने को तैयार है। आदेश की

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

तहसील तहसीलदार रायपुर का पालना हेतु भिजवाई जावे। श्रीमान द्वारा पारित आदेशानुसार गै. मु. रास्ता सार्वजनिक रहेगा। उक्त भूमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 03 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया है जो संलग्न पत्रावली किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1723/15 मे रास्ता निकलता है, जिसमे खसरा नम्बर 1723/15 मे दर्ज खातेदार छोटुराम पुत्र पन्नालाल और नेमाराम पुत्र जेठाराम को पक्षकार बनाना आवश्यक है इसे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थना पत्र अवलोकन व मनन के पश्चात् आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर छोटुराम पुत्र पन्नालाल और नेमाराम पुत्र जेठाराम को पक्षकार संयाजित के आदेश दिये गये।

अप्रार्थीगण संख्या 01 के की ओर से तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तहसीलदार रायपुर से मौका जांच रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होने या नही होने बाबत, सबसे नजदीकी रास्ते बाबत् प्रतिवेदन प्रेषित करने एंव रास्ता प्रदत करने हेतु प्रतिवेदन तहसीलदार रायपुर से उनके प्रतिवेदन दिनांक 13.02.2024 को प्राप्त किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के बताये अनुसार खसरा नम्बर 1725 रकबा 6.7501 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम सामलाती खातेदारी कृषि भूमि हैं। खसरा नम्बर के साथ ,खसरा नम्बर 1757 किस्म गै. मु.रास्ता रकबा 0.8256 हैक्टेयर लगा हुआ हैं जो वर्तमान मे दर्ज रेकर्ड हैं। मौके पर अन्य रास्ता भी चालू हैं जिससे प्रार्थी का आवागमन चालु हैं। यह रास्ता खसरा नम्बर 1723/15 व खसरा नम्बर 1724 से होकर जाता हैं। खसरा नम्बर 1723/15 रकबा 0.3257 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम छोटूराम पुत्र पन्नाराम व नेनाराम पुत्र जेठाराम जाति माली के नाम वर्तमान दर्ज रेकर्ड हैं। खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.2104 किस्म गै. मु. खड्डा (सिवाय) वर्तमान दर्ज रेकर्ड हैं। मौके पर चालू रास्ता खसरा नम्बर 1723/15 में से लम्बाई 24 मीटर चौडाई 06 मीटर कुल 144 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1724 में से लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 06 मीटर कुल 168 वर्गमीटर है। अतः दोनो खसरो में से प्रार्थी के चाहे गए अनुसार व मौके चालू रास्ते अनुसार कुल 312 वर्ग मीटर भूमि काम में आ रही हैं। भूमि की जमा योग्य रकम की राजस्व लेखाकार से गणना राशि प्राप्त हुई हैं, जिसमें खसरा नम्बर 1723/15 में से कुल 144 वर्गमीटर भूमि की मुआवजा राशि सताईस हजार रूपयें तथा खसरा नम्बर 1724 में 168 वर्गमीटर भूमि की मुआवजा राशि इकतीस हजार पांच सौ रूपये अप्रार्थीगण को दिया जाना प्रस्तावित हैं।

उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि मौके पर चालू रास्ता खसरा नम्बर 1723/15 में से लम्बाई 24 मीटर चौडाई 06 मीटर कुल 144 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1724 में से लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 06 मीटर कुल 168 वर्गमीटर बाबत् तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट प्राप्त हुई,प्रार्थी को रास्ता के लिए अत्यंत आवश्यकता हैं। प्रार्थी को मौके पर तहसीलदार रायपुर द्वारा लाल स्याही से अंकन (मौके पर चालु रास्ता) ही हैं, अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा लाल स्याही से अंकन (मौके पर चालु रास्ता) रास्ता,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

निकटतम/लघुतम हैं। तहसीलदार रायपुर के द्वारा रास्ते में दर्ज होने वाली भूमि की गणना राशि नियमानुसार जमा करवाने हेतु सहमत हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाया जावे एवं हम नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु सहमत है।

उक्त भूमि को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा मौका देखा गया है जिसमें पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा में अंकित लाल स्याही से मौके पर जो चालू रास्ता दर्शाया हैं, वही रास्ता मौके पर वर्तमान में चालू हैं। लेकिन खसरा नम्बर 1757 किस्म गै. मु.रास्ता, वर्तमान में चालू नहीं है। प्रार्थी को रास्ता के लिए अत्यंत आवश्यकता हैं। प्रार्थी को मौके पर तहसीलदार रायपुर द्वारा लाल स्याही से अंकन (मौके पर चालु रास्ता) की हैं, अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा लाल स्याही से अंकन (मौके पर चालु रास्ता) रास्ता, निकटतम/लघुतम हैं। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में भी यह कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा पहुंच मार्ग के लिए खसरा नम्बर 1757 किस्म गै. मु. रास्ता उपयोग में नहीं आ रहा हैं। इसीलिए तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में मौके पर चालू रास्ता खसरा नम्बर 1723/15 में से लम्बाई 24 मीटर चौडाई 06 मीटर कुल 144 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1724 में से लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 06 मीटर कुल 168 वर्गमीटर, भूमि प्रस्तावित की हैं, साथ ही तहसील राजस्व गणना कर रिपोर्ट भी संलग्न भिजवाया गई हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि तहसीलदार रायपुर पेश रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित रास्ता प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग नही होने से, यही रास्ता निकटतम होने से रास्ता दिया जाना उचित हैं।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। बहस , मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1725 में प्रार्थी के आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1723/15 व खसरा नम्बर 1724 का उपयोग किया जा रहा हैं क्योंकि वर्तमान में उक्त खसरों से रास्ता चालू हैं। खसरा नम्बर 1757 किस्म गै. मु.रास्ता, वर्तमान में चालू नहीं है । तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में भी यह कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा पहुंच मार्ग के लिए खसरा नम्बर 1757 किस्म गै. मु. रास्ता उपयोग में नहीं आ रहा हैं। इसीलिए तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में मौके पर चालू रास्ता खसरा नम्बर 1723/15 में से लम्बाई 24 मीटर चौडाई 06 मीटर कुल 144 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1724 में से लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 06 मीटर कुल 168 वर्गमीटर, भूमि प्रस्तावित की हैं, इसीलिए खसरा नम्बर 1723/15 में से लम्बाई 24 मीटर चौडाई 06 मीटर कुल 144 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1724 में से लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 06 मीटर कुल 168 वर्गमीटर में रास्ता दिया जाना न्यायोचित हैं। अतः रास्ते की गणना, तहसीलदार रायपुर तहसील राजस्व लेखाकार से की गई हैं जो नियमानुसार अप्रार्थीगण को भुगतान करें। नियमानुसार गणना राशि तहसीलदार रायपुर को जमा करवाने के बाद सावर्जनिक प्रयोजनार्थ हेतु मौका रिपोर्ट पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार गै. मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि के ग्राम रायपुर द्वितीय पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 1725 में आने जाने हेतु ग्राम रायपुर द्वितीय पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 1723/15 रकबा 6.7501 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में से लम्बाई 24 मीटर चौडाई 06 मीटर कुल 144 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म गै. मु. खड्डा में से लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 06 मीटर कुल 168 वर्गमीटर, रास्ते की भूमि का रकबा बनता हैं, उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की भूमि हैं। अतः इसका रकबा ,अप्रार्थीगण की भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु राज्य सरकार के नाम सिवाय चक गै. मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश (तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा में दर्शाये लाल स्याही से अंकन) दिये जाते हैं। उक्त संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की भूमि के खसरा नम्बर की किस्म को गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर को साथ में यह भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त दिया जाने वाली रास्ते का राजस्थान सरकार द्वारा तयशुदा नियमानुसार राशि प्रार्थी से प्राप्त करें एवं राशि प्राप्ति करने के बाद ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व रेकर्ड मे किया जावे। उक्त राशि को प्रभावित अप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान करें। संबंधित अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। उक्त रास्ता सावर्जनिक प्रयोजनार्थ होगा अर्थात रास्ता आसपास के कृषको एंव राहगीरों के द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। इस रास्ते के उपयोग हेतु किसी प्रकार से बाधित/अवरूद्व नही किया जा सकेगा। उक्त रास्ते पर किसी भी प्रार्थीगण द्वारा हक अधिकार नहीं जताया जायेगा। तहसीलदार रायपुर के प्रतिवेदन के संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (ब्यावर)

दिनांक 12/02/2025

क्रमांक : कोर्ट/2025/ 144

प्रेषित :

तहसीलदार,
रायपुर

विषय : राजस्व प्रार्थना संख्या 08/**2023** अनवान बद्रीलाल बनाम सरकार वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त विषयक अनवान में यदि अन्य न्यायालय का कोई स्थगन नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावें।

संलग्न : निर्णय की छाया प्रति।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)